APP-A
crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

ज अदालत — उपखण्ड अधिकारी हरदेत (?) — मुकाम — माण्डल
बनाम — राज सरकार
नं. 717 साल 2014
किस्म मुकदमा — प्रार्थना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.14	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ, दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन / नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 17.2.15 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
17.2.15	दिनांक 17.2.15 को अवकाश होने से पत्रावली आज पेश। वकील वादी उपस्थित। पेशीकार जवाब हेतु अवसर चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9.4.15 को पेश हो। [signature]	
9.4.15	वकील वादी ने संशोधित आवेदन व पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बहस हेतु पत्रावली दिनांक 23.4.15 को पेश हो। [signature]	
23.4.15	वकील वादी उपस्थित। पेशीकार सरकार उपस्थित। संशोधित आवेदन प्र.पत्र बहस हेतु दिनांक 7.5.15 को पेश हो। पेशीकार सरकार को जवाब प्राप्त। [signature]	
14.7.15	पत्रावली कामुताम लोक अदालत मेगा शिविर पेश हुई। प्रकरण में वादीगणों ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act पेश कर कब्जे अनुसार वादीगणों की खातेदारी आ.न. 449/(6) रकबा 0.42 हैक्टर की तरमीम अपार्थी की आ.न. 452/(6) रकबा 1.00 हैक्टर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के स्थान पर करने का अनुतोष चाहा गया है।
	प्रकरण में तहसीलदार माण्डल का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि वादी प्रतिवादी की आराजियात के रकबे में बहुत अन्तर है। प्रश्नगत आराजियात की मौके पर कब्जानुसार वस्तुस्थिति का नजरी मानचित्र पटवारी जिल्दहल्का से प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण वस्तु स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई तरमीम करने पर प्रतिवादी वादी के अलावा अन्य खातेदार श्रीमती मगनी पत्नी रुघनाथ गुर्जर एवं बक्षु पिता रामलाल व रूपी पत्नी बक्षु गुर्जर भी प्रभावित होते हैं। प्रार्थी ने इन खातेदारों को ग्राम जोरावरपुरा के आराजी नम्बर 452/161, 449/161 को ~~2~~ पक्षकार नहीं बताया गया है। जब कि ~~अब~~ उन्हें सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
	आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।
	(हस्ताक्षर) (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल